बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited
(निबंधित कार्यालयः–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)
(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
TINVAT NO-10011255025 CIN-U40102BR2012SGC018495
Contact No.: 7763817975,7763818077, Website:www.bsptcl.bih.nic.in
DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प सं0 – 1451 **पटना, दिनांकः–** 05/06/2024
T-I/AEE-Alleg-26027/2019

श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक कार्यपालक अभियंता, 132/33 के0 वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, बेनीपट्टी की नियुक्ति पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में दिनांक–15.10.2012 को हुई तथा बोर्ड की अधिसूचना सं0 1029 दिनांक 25.10.2012 के आलोक में श्री मिश्रा को BTPS, बेगूसराय में पदस्थापित किया गया। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना की अधिसूचना सं0–3500 दिनांक– 26.09.2018 के द्वारा श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक कार्यपालक अभियंता, BTPS, बेगूसराय को स्थानान्तरित करते हुए सहायक कार्यपालक अभियंता, 132/33 के0 वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, बेनीपट्टी में पदस्थापित किया गया। उनके द्वारा ग्रिड में दिनांक–01.10.2018 को पदभार ग्रहण किया गया। जहाँ श्री मिश्रा द्वारा दिनांक–25.10.2018 तक कार्य किया गया।

विदित हो कि पूर्व में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, बेगूसराय के पदस्थापन काल में श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक कार्यपालक अभियंता दिनांक–31.10.2017 से अपने कार्य से अनुपस्थित रहे हैं। दिनांक–15.12.2017 तक अवकाश विस्तार हेतु आवेदन समर्पित किये जाने के बाद वे अनाधिकृत रूप से अपने नियंत्री पदाधिकारी के अनुमति के बिना अनुपस्थित रहे हैं। बी0 एस0 पी0 जी0 सी0 एल0 के पत्रांक– 1551 दिनांक– 14.09.2018 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। इसके अनुपालन में श्री मिश्रा द्वारा दिनांक–27.09.2018 को अपना जवाब समर्पित किया गया। श्री मिश्रा के जवाब से असंतुष्ट होकर बी0 एस0 पी0 जी0 सी0 एल0 के पत्रांक–299 दिनांक–16.03.2019 द्वारा बिहार सी0 सी0 ए0 के रूल 14(1) में निहित प्रावधान के तहत द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत किया गया, परन्तु इसका जवाब श्री मिश्रा द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

श्री मिश्रा के दिनांक–31.10.2017 से लागातार अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक–92 दिनांक–04.10.2018 द्वारा कार्यालय से अनुपस्थित रहने, कार्य के प्रति लापरवाह एवं संवेदनहीन तथा मोबाईल फोन पर अर्मायादित भाषा का उपयोग करने के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसके अनुपालन में श्री मिश्रा द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–55 दिनांक–06.10.2018 द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, दरभंगा को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। परन्तु उनके द्वारा यह नहीं बतलाया गया कि वे दिनांक– 04.10.2018 को मानव बल के हड़ताल के उपरान्त भी विषम परिस्थिति में भी ग्रिड में क्यों नहीं थे तथा फोन पर अमर्यादित रूप से क्यों पेश आये।

श्री मिश्रा के द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर को दिनांक–26.10.2018 को आवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वे दिनांक– 01.11.2017 से दिनांक–06.08.2018 तक हिरासत(कैद) में थे। उनकी पत्नी श्रीमती श्रुति झा (पत्नी) एवं उनके परिजनों एवं नौकर छोटू द्वारा उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया। साथ ही उल्लेख किया गया कि उनका केस न्यायालय में चल रहा है एवं उन्हें दिनांक–26.10.2018 से दिनांक–25.12.2018 तक न्यायालय के कार्य हेतु अवकाश की आवश्यकता है। इसके बाद से वे लगातार अपने कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा उनके द्वारा दिनांक–26.10.2018 से बिना किसी सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त किये स्वेच्छा से अवकाश का विस्तार हेतु आवेदन समर्पित किया गया।

महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–328 दिनांक– 10.05.2019 एवं इस कार्यालय के पत्रांक–3225 दिनांक–11.09.2019 द्वारा श्री मिश्रा को 15 दिनों के अंदर अपने नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, परन्तु श्री मिश्रा वरीय पदाधिकारी के

(लगातार)

निदेश के बावजूद नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–2142 दिनांक–20.11.2019 को विशेष दूत द्वारा तामिला कराने के बावजूद भी श्री मिश्रा नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। दैनिक समाचार पत्र दिनांक–14.09.2019 के माध्यम से श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बेनीपट्टी को निदेशित किया गया कि वे 15 दिनों के अंदर महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें; यदि निर्धारित अवधि के अंदर वे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है एवं तद्नुसार उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, परन्तु श्री मिश्रा द्वारा इस आदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया।

इस कार्यालय के संकल्प सं0–890 दिनांक 10.06.2021 द्वारा श्री मुकेश कुमार, मिश्रा तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बेनीपट्टी सम्प्रति अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं इस संकल्प के निर्गत होने के तिथि से एक पखवारे के भीतर अपने बचाव में लिखित बचाव बयान; जाँच पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। परंतु डाक विभाग द्वारा उक्त संकल्प यह टिप्पणी अंकित करते हुए वापस लौटा दिया गया है कि ''प्राप्तकर्त्ता का मृत्यु हो चुका है'' वापस किया जाता है। श्री मुकेश कुमार मिश्रा, तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बेनीपट्टी की कथित मृत्यु की जाँच के लिए इस कार्यालय पत्रांक 1311 दिनांक 11.08.2021 द्वारा महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया।

उक्त के संबंध में संचरण जोन, मुजफ्फरपुर के कार्यालय आदेश संख्या– 80 दिनांक– 04. 12.2021 द्वारा श्री मिश्रा के कथित मृत्यु हो जाने संबंधी सूचना सत्यता की जाँच हेतु एक जाँच कमिटि का गठन किया गया। जाँच कमिटि द्वारा उन्हें जीवित पाया गया। पुनः महाप्रबंधक– सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर का ज्ञापांक–186 दिनांक–18.02.2022 द्वारा श्री मिश्रा के स्थायी पते पर विशेष दूत भेजकर इस कार्यालय के संकल्प सं0–890 दिनांक 10.06.2021 को हस्तगत कराने हेतु विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, दरभंगा को निदेशित किया। महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर का पत्रांक–551 दिनांक–19.05.2022 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया कि इस कार्यालय के अधिसूचना सं0–890 दिनांक 10.06.2021 को उनके स्थायी पते पर उपलब्ध नही रहने के कारण विशेष दूत द्वारा हस्तगत नही कराया जा सका है। अतएव पुनः दैनिक अखबार, "प्रभात खबर" में दिनांक– 23.06.2022 को उक्त आशय का सूचना प्रकाशित करवाया गया।

श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक कार्यपालक अभियंता, 132/33 के0वी0 ग्रिड उपकेन्द्र, बेनीपट्टी के दिनांक–31.10.2017 से बिना अनुमति लागातार अनुपस्थित रहने के आरोप पर इस कार्यालय के संकल्प सं0–890 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में मुख्य अभियंता (सिस्टम ऑपरेशन)–सह जाँच पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–10 दिनांक– 05.01.2024 के माध्यम से श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमण्डल, बेनीपट्टी के मामले में एक पक्षीय जाँच प्रतिवेदन सानुलग्नक यथा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, उपस्थापन पदाधिकारी का लिखित प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु पारित आदेश की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में अंतिम निष्कर्ष दिया गया कि– **श्री मुकेश कुमार मिश्रा तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमण्डल, बेनीपट्टी सम्प्रति अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित के विरूद्ध विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यहीनता एवं गैर जिम्मेदाराना आचरण के आरोप पूर्णतः प्रमाणित होता है। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं सुसंगत अभिलेखों की पूर्ण समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमण्डल, बेनीपट्टी (सम्प्रति दिनांक–31.10.2017 से कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित) को पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की सेवा नियमावली, 1976 के कंडिका–73(vi), बिहार सेवा संहिता के नियम–76 एवं बिहार सरकारी**

(लगातार)

सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के अन्तर्गत नियम 14(xi) के तहत श्री मिश्रा को अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य से पाँच वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति के फलस्वरूप बृहद शास्ति के रूप में दिनांक–31.10.2017 के प्रभाव से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री मुकेश कुमार मिश्रा, सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमण्डल, बेनीपट्टी (सम्प्रति दिनांक–31.10.2017 से कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित) को पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की सेवा नियमावली, 1976 के कंडिका–73(vi), बिहार सेवा संहिता के नियम–76 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के अन्तर्गत नियम 14(xi) के तहत श्री मिश्रा को अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य से पाँच वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति के फलस्वरूप बृहद शास्ति के रूप में दिनांक–31.10.2017 के प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री मुकेश कुमार मिश्रा, तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता, पिता–श्री नंद किशोर मिश्रा, ग्राम+पो0–भुसकौल, जिला–दरभंगा, पिन कोड–846007 को हस्तगत करा दी जाए।

आदेशानुसार

ह0/–
(राजीव कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक– ______ /पटना **दिनांकः–** ______

निबंधित

प्रतिलिपि–श्री मुकेश कुमार मिश्रा, पिता–श्री नन्द किशोर मिश्रा, ग्राम+पो0–भुसकौल, जिला–दरभंगा, पिन कोड–846007 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजीव कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक– ______ /पटना **दिनांकः–** ______

प्रतिलिपि–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, BSPHCL/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजीव कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक– 1452 /पटना **दिनांकः–** 05/06/2024

प्रतिलिपि–निदेशक(परिचालन)/निदेशक(परियोजना)/महाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0)/BSP(H)CL/BSPTCL/SBPDCL/NBPDCL/BSPGCL/महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, मुजफ्फरपुर/विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, दरभंगा/विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, दरभंगा/डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर/सभी उप सचिव/सभी लेखा पदाधिकारी/सभी अवर सचिव एवं लेखा पदाधिकारी(स्थापना), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05-6-24

(राजीव कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)

05.06.24